

राजस्थान पुलिस यातायात.....

0392961

वर्ष 2019 पुस्तक क्र. सं. क्षेत्र.
 दिनांक 22/6/19 समय 12:45 ए. एम. पी. एम. वाहन सं.
 वाहन वर्ग स्थान थाना
 मुद्दा पद. HC 890 ने बावर्ची उक्त वाहन को चेक किया। वाहन चालक
 श्री राजू लाल पुत्र श्री जाति
 उम्र 32 निवासी लाडू ने वाहन उपयोग करते
 समय एम. वी. एक्ट 1988/नियम का उल्लंघन किया है: 207 एम. वी. एक्ट

(1) नो पार्किंग / रोंग पार्किंग	122/177
(2) लाल बत्ती क्रोस करना	119/177
(3) बिना नम्बर प्लेट/बिना नम्बर	50 सी/177
(4) बिना लाइसेन्स	3/181
(5) रोंग साइड / वन वे	121/177

① क. न (1) का उल्लंघन किया है।
 ② चालक - चालक के पास ड्राइविंग लाइसेन्स नहीं है।
 ③ चालक - चालक के पास वाहन का कोई कागजात नहीं है। इसलिए M.V.A.C. के पास वाहन को जाम किया गया है।

उपरोक्त वाहन चालक के विरुद्ध मोटर यान अधिनियम 1988 के अन्तर्गत 207 एम. वी. एक्ट 1988 के अन्तर्गत जप्त किया जाकर जॉरिएकमिन. श्री नम्बर के थाना में सुरक्षार्थ रवाना किया जाता है।

कच्चे में लिए गए दस्तावेज

1. रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वैधता 2. परमिट वैधता
 3. ड्राइविंग लाइसेन्स वैधता
- उपरोक्त जप्त दस्तावेज आप 15 दिवस के भीतर अर्थात् चालान दिनांक 22/6/19 से दिनांक 22/6/19 तक अपने चालान का प्रशमन (Composition) स्थान में करवाकर प्राप्त कर सकते हैं।
 15 दिन के पश्चात् चालान सम्बन्धित न्यायालय में पेश किया जायेगा। (30)

उत्तरदायकता के हस्ताक्षर

Rajy.



राजस्थान पुलिस

न्यायालय में उपस्थित हेतु बन्ध - पुत्र

हस्ताक्षर चौकिम अधिकारी

सुरेन्द्र कुमार शर्मा

HC 890

यातायात पुलिस, जयपुर

9950239282 (धारा 170 सी. आर. पी. सी) (नियम 262)

मैं पुत्र जाति

निवासी पुलिस थाना है

तथा यातायात नियम 122/177, 3118, M.V.A.C. 207 के अन्तर्गत

कमिजस्ट्रेट के समक्ष उपसजात होने के लिए अपेक्षित किये जाने पर

एतद्वारा अपने आपको आबद्ध करता हूँ कि मैं अपने विरुद्ध यातायात नियम के उल्लंघन की जांच के लिए

के न्यायालय में ला 22/6/19 को 7A बजे एवं तत्पश्चात् हर नियुक्त तारीख पेशी पर उक्त

आरोप का उत्तर देने के लिए एवं परीक्षण के लिए उपसजात होऊंगा, तथा मैं अपने को आबद्ध करता हूँ कि यदि इसमें

व्यतिक्रम करूँ तो मेरी रुपये की राशि सरकार को समपहूत हो जायेगी।

2000/-

Rajy.

उत्तरदायकता के हस्ताक्षर